GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No.E(MPP)91/13/7 New Delhi, dated: 4.4.1991.

The General Managers,
All Indian Railways including
Production Units and

The Principal,
Railway Staff College,
Vadodara.

The Director,
Indian Railways Institute of Mechanical &
Electrical Engineering,
Jamalpur.

Indian Railways Institute of Civil Engineering, Pune.

Indian Railways Institute of Signal Engineering &
Telecommunication,
Secunderabad.

Sub:-Improvement in service conditions of Faculty Members in Training Institutions.

In order to improve the quality of training imparted in the various Training Institutions and attract the best trainer talent, the Ministry of Railways have issued instructions from time to time regarding grant of 30% Teaching Allowance to the Faculty Members, both Gazetted and Non-Gazetted drawn on deputation from the field for the purpose of imparting training in the centralised Institutions vide this Ministry's letter No.85/E(GR)II/18/84 dated 15.9.86 in respect of Gazetted Faculty Members, Board's letter No.E(MPP)86/12/3, dated 11.5.88 in respect of Non-Gazetted Faculty Members, for 9 Zonal Training Schools, 9 System Technical Schools and 3 Technical Training Schools on the Railways and 3 Production Units vide Board's letter No.E(MPP)86/12/3 dated 28.3.89 and for 13 Group 'C' Training Schools on different Railways/Production Units vide Board's letter No. E(MPP)86/12/3 Vol.II dated 5.2.91. Ministry of Railways have also issued certain clarifications on the points raised in this connection vide different letters issued from time to time.

Since the raise of 30% in emoluments of the Faculty Members is meant for the Faculty Members of the Training Institutions, the

Contd....2

incentive thus granted should be more appropriately termed as 'Training Allowance' instead of 'Teaching Allowance' as mentioned earlier. Ministry of Railways, have therefore, decided that the words "Teaching Allowance" wherever app-earing in the instructions referred to above and other clarifications issued from time to time, may be substituted by the words "Training Allowance".

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(R.D. Lakhanpal)
Director, Estt.(RRB)
Railway Board.

No.E(MPP)91/13/7, New Delhi, dated: 4.4.1991.

1. Copy forwarded for information to ADAI(Rlys), New Delhi, (With 40 spares).
2. Copy to FA&CAOs, All Indian Railways/Production Units.

(R.D. Lakhanpal)
Director, Estt.(RRB)
Railway Board

No.E(MPP)91/13/7, New Delhi, dated: 4.4.1991.

Copy forwarded for information to:

1. General Secretary/NFIR, New Delhi (with 40 spares).
2. General Secretary/AIRF, New Delhi (with 40 spares).
3. Members of Staff Councils.

for Secretary,
Railway Board.

Copy to:

Secretary, Joint Director(MPP&T), E(NG)I, E(NG)II, E(TRG.), E(P&A)I, E(P&A)II, FE-III, PV-IV and F(E) (with five spares).

.....

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एमपीपी)91/13/7 नई दिल्ली, दिनांक: 4.4.1991

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
उत्पादन इकाइयां,

प्रिंसिपल,
रेलवे स्टाफ कालेज,
वडोदरा

निदेशक,
भा. रे. यां. एवं बि. इंजी. संस्थान,
जमालपुर

भा. रे. सिविल इंजी. संस्थान, पुणे

भा. रे. सिग. इंजी. एवं दू. सं. संस्थान, सिकंदराबाद ।

विषय:- प्रशिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की सेवा शर्तों में सुधार ।

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने और सर्वोत्तम प्रशिक्षक प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए, केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने के लिए बाहर से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों तरह के संकाय सदस्यों के लिए 30% शिक्षण भत्ता मंजूर करने के संबंध में रेल मंत्रालय ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं जो इस मंत्रालय का 15.9.86 का पत्र सं. 85/ई(जीआर)11/18/84 राजपत्रित संकाय सदस्यों के संबंध में, बोर्ड का 11.5.88 का पत्र सं. ई(एमपीपी)86/12/3 अराजपत्रित संकाय सदस्यों के संबंध में, बोर्ड का 28.3.89 का पत्र सं. ई(एमपीपी)86/12/3 वाल्यूम 11, रेलों पर 9 क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों, 9 सिस्टम तकनीकी स्कूलों और 3 तकनीकी प्रशिक्षण स्कूलों तथा 3 उत्पादन इकाइयों के संबंध में तथा बोर्ड का 5.2.91 का पत्र सं. ई(एमपीपी)86/12/3 वाल्यूम 11 विभिन्न रेलों/उत्पादन इकाइयों में 13 ग्रुप "सी" प्रशिक्षण स्कूलों के संबंध में है । इस संबंध में उठाए गए मुद्दों पर रेल मंत्रालय ने समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न पत्रों में कतिपय स्पष्टीकरण भी जारी किए हैं ।

...2/-

चूंकि संकाय सदस्यों की परिलब्धियों में 30% की यह बढ़ोतरी, प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए है, अतः इस प्रकार मंजूर किए गए प्रोत्साहन को "शिक्षण भत्ता" जैसा पूर्व में उल्लेख किया गया है, की बजाय "प्रशिक्षण भत्ता" कहना अधिक उपयुक्त होगा । अतः रेल मंत्रालय ने यह विनिश्चय किया है कि "शिक्षण भत्ता" शब्दों को, उपर्युक्त संदर्भाधीन निर्देशों में और समय-समय पर जारी अन्य स्पष्टीकरणों में जहां कहीं यह शब्द आते हों, "प्रशिक्षण भत्ता" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

2/4/91

(आर. डी. लखनपाल)
निदेशक स्थापना (रेलबो)/रेलवे बोर्ड ।

सं. ई(एमपीपी)91/13/7 नई दिल्ली, दिनांक: 4.4.1991

1. प्रतिलिपि- भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(रेलें), नई दिल्ली को(40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ ।
2. प्रतिलिपि- वि. स. एवं मु. ले. अधिकारी, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

2/4/91

(आर. डी. लखनपाल)
निदेशक स्थापना (रेलबो)/रेलवे बोर्ड ।

सं. ई(एमपीपी)91/13/7 नई दिल्ली, दिनांक: 4.4.1991

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, नई दिल्ली(40अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, नई दिल्ली(40अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. कर्मचारी परिषद के सदस्य ।

पिकेदास

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड ।

=:=